

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**  
**Notification**

The 5th August, 2005

No. CCP (NCR)/KMP/CAG/(b)/2005/1308.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Un-regulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometres on the outer side of the boundary of Govt. Primary School, Village Prasoli, , Hadbast No. 138, district Gurgaon, as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

**SCHEDULE**

Schedule of boundaries of controlled area within a distance of two kilometres on the outer side of the boundary of Government Primary School, Village Prasoli, Hadbast No. 138, district Gurgaon to be read with the Drg No. D.T.P. (G) 973/2002, dated the 19<sup>th</sup> February, 2002.

- North:-** Starting from point "A" i.e. the north-west corner of Rect. No. 15 of village Bhunkarka Hadbast No. 137, thence towards east along northern boundary of Rectangles No. 15,16 and 17 of village Bhunkarka, Hadbast No. 137 and Rectangle No. 8 and 9 of village Bahora Khurd, Hadbast No. 136 and Rectangles No. 23,24,25 and 26 of village Turkapur, Hadbast No. 40 upto point 'B' i.e. eastern village Boundary of village Turkapur, Hadbast No. 40 where it meets with north-east corner of Rectangle No. 26.
- East:-** Moving from point 'B' towards south along the eastern boundaries of Turkapur, Hadbast No.40, thence towards east along northern boundary of Rectangle No. 22 of village Bahora Khurd, Hadbast No. 136, thence towards south along eastern boundary of Rectangle No. 22, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 30 thence towards south along the eastern boundary of Rectangle No. 30, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 30, thence towards south along eastern boundary of Rectangles No. 40,46,55,58 and 68 of village Bahora Khurd Hadbast No. 136 thence towards east along northern boundary of Rectangle No. 72 thence towards south along eastern boundary of Rectangle No. 72 upto point 'C' i.e. south-east corner of Rectangle No. 72.
- South:-** Moving from point 'C' thence towards west along the southern revenue boundary of village Bahora Khurd, Hadbast No. 136, Rectangle No. 72, 71 and 70 and thence towards south-west along southern boundary of village Prasoli Hadbast No. 138, thence towards south-west along south-west boundary of village Bhunkarka Hadbast No. 137 upto point 'D' i.e. south-west corner of Rectangle No. 26 of village Bhunkarka, Hadbast No. 137.
- West:-** Moving from point 'D' thence towards north along the western boundary of Rectangles No. 22 and 26 of village Bhunkarka, Hadbast No. 137, thence towards east along northern boundary of Rectangle No. 21 and 22 thence towards north along western boundary of Rectangle No. 15 of village Bhunkarka, Hadbast No. 137, upto the point 'A' i.e. point of start.

**SHAKUNTALA JAKHU,**  
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government  
Haryana, Town and Country Planning Department.

**हरियाणा सरकार  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना**

दिनांक 5 अगस्त, 2005

**संख्या सी0सीपी0 (एन0सी0आर0)/के0एम0पी0/सी0ए0जी0 (बी)/2005/1308:-** पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 41), की धारा-4 की उपधारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाबिनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये अनुसार गांव परासोली, हदबस्त संख्या 138, जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के दो किलोमीटर दूरी के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात:-

**अनुसूची**

गांव परासोली, हदबस्त संख्या 138, जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के दो किलोमीटर दूरी तक के नियन्त्रण क्षेत्र की सीमा अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 973/2002 दिनांक 19 फरवरी, 2002 के साथ पढ़ा जाए:-

**उत्तर:** बिन्दु 'ए' अर्थात गांव भौकरका, हदबस्त संख्या 137 की आयत संख्या के 15 का उत्तरी पश्चिमी कोना से चलकर इसके बाद पूर्व की ओर गांव भौकरका, हदबस्त संख्या 137 के आयत संख्या 15,16,17 तथा गांव भौड़ाखुर्द, हदबस्त संख्या 136 के आयत संख्या 8 एवं 9 तथा गांव तुर्कापुर, हदबस्त संख्या 40 के आयत संख्या 23,24,25,26 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक अर्थात गांव तुर्कापुर, हदबस्त संख्या 40 की पूर्वी सीमा जहां यह आयत संख्या 26 के उत्तरी पूर्वी कोने से मिलती है।

**पूर्व:** बिन्दु 'बी' से चलकर इसके बाद दक्षिण की ओर गांव तुर्कापुर हदबस्त संख्या 40 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ इसके बाद पूर्व की ओर गांव भौड़ाखुर्द हदबस्त संख्या 136 की आयत संख्या 22 की उत्तरी सीमा के साथ-2 इसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 22 की ओर पूर्वी सीमा के साथ-2 इसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 30 की उत्तरी सीमा के साथ-2 इसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 30 की पूर्वी सीमा के साथ-2, इसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 30 की दक्षिणी सीमा के साथ-2, इसके बाद दक्षिण की ओर गांव भौड़ाखुर्द, हदबस्त संख्या 136, की आयत संख्या 40,46,55,58,68 की पूर्वी सीमा के साथ-2, इसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 72 की उत्तरी सीमा के साथ-2, इसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 72 की पूर्वी सीमा के साथ-2, बिन्दु 'सी' तक अर्थात आयत संख्या 72 का दक्षिणी पूर्वी कोना।

**दक्षिण:** बिन्दु 'सी' से पश्चिम की ओर चलकर गांव भौड़ाखुर्द, हदबस्त संख्या 136 की आयत संख्या 72,71,70 की दक्षिण राजस्व सीमा के साथ-2, इसके बाद दक्षिण-पश्चिम की ओर गांव भौकरका, हदबस्त संख्या 137 की दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'डी' तक अर्थात गांव भौकरका, हदबस्त संख्या 137 की आयत संख्या 26 का दक्षिण-पश्चिम कोना।

**पश्चिम:** बिन्दु 'डी' से चलकर इसके बाद उत्तर की ओर चलकर गांव भौकरका, हदबस्त संख्या 137 की आयत संख्या 26, 22 की पश्चिमी सीमा के साथ-2, इसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 22,21 की उत्तरी सीमा के साथ-2, इसके बाद उत्तर की ओर गांव भौकरका, हदबस्त संख्या 137 की आयत संख्या 15 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'ए' अर्थात प्रारम्भिक बिन्दु।

**शकुन्तला जाखू,**  
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।